



2026:AHC:169694

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 4561 वर्ष 2025

अहसान

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: धीरज कुमार पांडे

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 1762 वर्ष 2021, भारतीय दंड संहिता की धारा 377/511 और पाँक्सो अधिनियम की धारा 7/8, थाना मंडी, जिला सहारनपुर में अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार करने के प्रयास के बावजूद उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वैवाहिक विवाद को आपराधिक अपराध में बदल दिया गया है। वर्तमान विवाद किसी पुराने विवाद से उत्पन्न हुआ है और आवेदक को झूठे तरीके से आपराधिक न्यायालय में लाया गया है। आवेदक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और यौन शोषण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आपराधिक कार्यवाही पहले से ही चल रही थी। उस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि आवेदक की पत्नी/पीड़िता के साथ अप्राकृतिक अपराध किया गया था। बाद में वर्तमान प्रकरण की पीड़िता ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। आगे यह भी कहा गया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 23.06.2025 के पूर्व अंतरिम आदेश के अनुसार, आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित हो रहा है और भाग ले रहा है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.05.2026 के पूरक हलफनामे के साथ एक पूर्ण आदेश पत्र दाखिल किया गया है। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, मुकदमे में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया। 6. अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई, (2022) 13 एससीसी 764, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि:

“11. उपरोक्त को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत यही है। संज्ञान लेने या अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट या न्यायालय को आरोपपत्र को तुरंत स्वीकार करना होगा और धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह सही कहा गया है कि ऐसे प्रकरण में मजिस्ट्रेट या न्यायालय को हमेशा समन जारी करना होता है, न कि गिरफ्तारी वारंट। यदि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे धारा 87 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित कारणों को दर्ज करना होगा कि अभियुक्त या तो फरार है, या समन का पालन नहीं कर रहा है, या समन की विधिवत तामील के प्रमाण के बावजूद उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त उप-प्रस्तर (iii) में की गई टिप्पणियां चेतावनी के रूप में हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. वर्तमान प्रकरण और धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य सिद्धांतों के संदर्भ में, गैर-जमानती अपराध के आरोपी के प्रकरण में, जिसकी विवेचना अवधि के दौरान हिरासत की आवश्यकता नहीं थी, उच्च न्यायालय के फैसले के उप-प्रस्तर (v) में सबसे उपयुक्त टिप्पणियां हैं। ऐसे परिदृश्य में, आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित है क्योंकि विवेचना के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना या हिरासत में पेश न किया जाना ही उसे जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त है। इसका तर्क संक्षेप में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से रिहा है और विवेचना के दौरान भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो केवल आरोपपत्र दाखिल होने के कारण अचानक उसकी गिरफ्तारी और कारावास का निर्देश देना जमानत देने के लिए निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत होगा। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।

7. अतः, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अभियोग की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह आवेदक को प्रकरण की सुनवाई समाप्त होने तक अग्रिम जमानत देने का एक उपयुक्त प्रकरण है।

8. तदनुसार, अग्रिम जमानत याचिका निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है:-

(i) आवेदक की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उपर्युक्त प्रकरण में शामिल आवेदक-अहसान को मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करे।

(ii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष सुनवाई के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार संबंधित न्यायालय को उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग होने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

10. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को शीघ्रतम माध्यम से भेजें।

12 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडे

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)